

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782-222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782-222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./ 567

जगदलपुर, दिनांक 01/02/17

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

बस्तर वनमण्डल

जगदलपुर

विषय :- Diversion of forest land for non- forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Laying optical fibre cable from Jagdalpur to Bhanpuri in Bastar District Chhattisgarh, area - 0.669 ha. regarding

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/ मा.चि./160 दिनांक 30.01.2017 ।

—::000::—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें ।

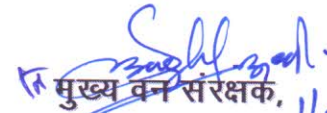
संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण है प्रस्ताव में निम्न कमियाँ हैं :-

1. प्रस्ताव में 0.250 हे. राजस्व वनभूमि शामिल है राजस्व वनभूमि का खसरा B1 एवं मानचित्र संलग्न नहीं है ।
2. प्रस्ताव में 0.699 हे. जगदलपुर से भानपुरी तक ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने बाबद् उल्लेखित है ओ.एफ.सी. लाईन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई प्रस्ताव में उल्लेख नहीं है ।
3. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी जिलाध्यक्ष का अंग्रेजी में जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है ।
4. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी उपवनमण्डल स्तरीय कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न नहीं है ।
5. प्रस्ताव के साथ एक प्रति मूल अभिलेख संलग्न किया जाना था परन्तु प्रस्ताव के साथ सभी प्रति में छायाप्रति संलग्न है ।
6. प्रस्ताव के साथ संलग्न कंडिका क्रमांक 31 में इस श्रेणी के स्वीकृत प्रकरणों की संख्या निरंक दर्शायी गयी है जबकि बस्तर वनमण्डल अन्तर्गत पूर्व में जगदलपुर से बास्तानार ओ.एफ.सी. लाईन, रक्षा अनुसंधान के ओ.एफ.सी. लाईन एवं ग्राम धनपुजी से फरसागुड़ा तक ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाने हेतु प्रकरण स्वीकृत है, अभिलेखों का परीक्षण कर पुनरीक्षित करें ।

7. प्रस्ताव में ओ.एफ.सी. लाईन का Starting Point एवं Ending Point का उल्लेख नहीं है।
8. प्रस्ताव में यह उल्लेख किया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/11-9/98 /Fc दिनांक 13.05.2011 के अनुसार 5.00 हे. तक व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है जबकि शासन के उक्त पत्र में यह उल्लेख है कि शासकीय विकासोन्मुखी कार्यों हेतु (Critical public utility infrastructure by Government Department) वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव में आवेदक संस्थान निजी संस्थान है परीक्षण कर प्रस्तुत करें।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति उपरांत पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव मूलतः संलग्न है।

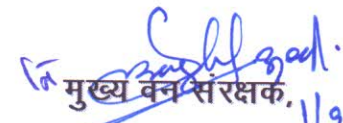
संलग्न :- उपरोक्तानुसार
चार प्रतियों में मूलतः


मुख्य वन संरक्षक, 1/2
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 01/02/17

पृ.क्र./व.त.अ./ 568

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू - प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मेसर्स General Manager, Reliance Jio Information Limited 4th floor office No. 401-405 Ambuja Mal, Raipur Chhattisgarh की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक, 1/2
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर